174

संख्या 31 /XXXVI(1)/2015–07 चार/न्या0अनु0/2005

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांकः 25 जून, 2015

विषय– अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन द्वारा आबद्ध किये गये शासकीय अधिवक्ताओं को देय फीस में वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–214/XXXVI(1)/2011–7 चार/2005 दिनांक 11.11.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड के जिला में स्थिति दीवानी/राजस्व/फौजदारी के न्यायालयों में शासन का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध अधिवक्ता को पूर्व में देय फीस दरों में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित फीस वृद्धि किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– रिटेनर फीस

क्र0 सं0	विवरण	संशोधित रिटेनर फीस (₹ प्रतिमाह में)
1	जिला शासकीय अधिवक्ता	8000.00
2	अपर जिला शासकीय अधिवक्ता	6400.00
3	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	5600.00
4	उप जिला शासकीय अधिवक्ता	4800.00

2– ड्राफ्टिंग फीस

क्र0 सं0	विवरण	(₹ प्रति केस में)
1	वाद/अपील/मैमो/प्रार्थना पत्र, पुनरीक्षित प्रार्थना पत्र (रिवीजन), रिव्यू	1200.00
2	लिखित विवरण/पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र (रिव्यू)	400.00

उपर्युक्त तालिका–2 में उल्लिखित प्रार्थना पत्र का आशय केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–9, नियम–13 के प्रार्थना पत्र से होगा। अन्य किसी प्रार्थना पत्र के लिए कोई फीस अनुमन्य नहीं होगी।

3– वादों तथा प्रकीर्ण वादों में बहस हेतु

क्र0 सं0	विवरण	संशोधित फीस (₹ प्रतिकार्य दिवस में)
1	जिला शासकीय अधिवक्ता	1500.00
2	अपर/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, विशेष अधिवक्ता, न्यायमित्र, नामिका वकील (सिविल/फौजदारी/राजस्व)	1400.00
3	उप जिला शासकीय अधिवक्ता	1300.00

4– आशुलिपिक एवं अनुसेवक इत्यादि भत्ता (केवल जिला शासकीय अधिवक्ता को अनुमन्य)

क्र0 सं0	विवरण	(₹ प्रतिमाह में)
1	आशुलिपिक भत्ता	8000.00
2	अनुसेवक भत्ता	4000.00

2– उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक शासकीय अधिवक्ता को अधिष्ठान व्यय/कार्यलय व्यय के लिए ₹ 1,000/– प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।

3– जिला शासकीय अधिवक्ता, (सिविल/राजस्व/फौजदारी) जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आशुलिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध नही करायी गई है, को आशुलिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्रमशः ₹ 8,000/– तथा ₹ 4,000/– की धनराशि अनुमन्य होगी। यह धनराशि तभी अनुमन्य होगी, जब जिला शासकीय अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र देयक के साथ प्रतिमाह प्रस्तुत करेंगे कि अमुक व्यक्ति से उस माह में आवश्यकतानुसार उनके द्वारा आशुलेखन एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक से सेवायें ली जा रही है, ताकि उस व्यक्ति को सीधे चैक निर्गत किया जा सके।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय व्ययक के अनुदान सं0–04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)--04–विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता--00–16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 52NP/XXVII(7)/2015 दिनांक 22.06.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 910/XXXVI(1)/2015–07 चार/न्या0अनु0/2005 तददिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, मा0 न्याय मंत्री को मा0 न्याय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5– आयुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड/समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग/ वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से

(कहकशा खान)
अपर सचिव